# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1225 / 2012 / सिरोही
अपील संख्या 1226 / 2012 / सिरोही
अपील संख्या 1227 / 2012 / सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सिरोही. .......अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आशा एजेन्सी, पिण्डवाड़ा, सिरोही.
मैसर्स अरिहन्त एण्टरप्राइजेज, आबूरोड़
मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर, मण्डार .....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**
**श्री के.एल.जैन, सदस्य**
**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ........विभाग की ओर से.
श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक ........व्यवहारी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 02 / 08 / 2017**

## निर्णय

उक्त तीनों अपीलें राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से अपील संख्या 189, 190, 191 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें वितिय वर्ष 2008–09 में पारले प्रोडक्ट प्रा.लि. अजमेर से खरीदी गई ब्राण्डेड कन्फेशनरी पर कर दर 4 प्रतिशत के स्थान पर आरोपित 12.5 प्रतिशत के कर एवं अनुवर्ती ब्याज के आदेश को यथावत रखा गया था परन्तु आदेश में करापवंचन का अपराध मानकर वैट अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत आरोपित की गई शास्ति को अपास्त किया गया था।

राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त निर्णय में शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दू पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

यह उल्लेखनीय है कि पारले प्रोडक्ट द्वारा निर्मित एवं विक्रय किये गये कन्फेशनरी आईटम पर विभाग द्वारा किये गये विवाद एवं अभियोग प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा समान तथ्यों पर **एसबी एसटीआर / रेफरेंस संख्या 473 / 2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, व अन्य** में दिनांक 17.02.2017 को निर्णय दिया जाकर कर व ब्याज को यथावत रखा गया परन्तु अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में माननीय कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई है।

लगातार.......2

इस तरह इन समान तथ्यों पर आधारित मामलों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी पर कर दर के विवाद में मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना गया है ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )
सदस्य

( के.एल.जैन )
सदस्य